न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —65 / 2024 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2024 / 196

रामदेव आत्मज कान्हा जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. लटूरलाल आतमज कान्हा जाति मेघवाल निवासी ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. यशवेन्द्र आत्मज हीरालाल जाति जाटव
3. नरेन्द्र कुमार आत्मज हीरालाल जाटव
   निवासीगण 229—कैलाशपुरी कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील बनाराजगी इंतकाल नं0 152 दिनांक 29.7..2000 ग्राम घघटाना नायब तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति

1. श्री अशोक कुमार मीणा, अभिभाषक अपीलान्ट
6. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 2 व 3
7. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 15.04.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम घघटाना में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम खसरा नम्बर 503 की रकबा 0.76 हे0 भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसमें भू सुधार कार्य होने पर नवीन खसरा नम्बर 686 रकबा 0.43 हे0 भूमि दर्ज की गई तथा केचमेंट में कमी रकबे की पूर्ति खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 से करते हुए नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 29.7.2000 से खसरा नम्बर 880 की रकबा 0.70 हे0 भूमि केवल लटूरलाल जी के नाम खाता दर्ज की गई ।

2. अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 29.07.2000 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.11.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद केचमेन्ट खसरा नम्बर 880 की 0.70 हे0 भूमि के बाबत रेस्पोडेन्ट के नामान्तरकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है । ग्राम घघटाना में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम दर्ज भूमि खसरा नं0 503 की 0.76 हे0 में केचमेन्ट होने पर नये खसरा नम्बर 686 की रकबा 0.43 हे0 कायम किये गये किन्तु मौके पर करीब 0.16 हे0 होने के कारण उसकी कमी पूर्ति केचमेन्ट अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 880 की भूमि 0.70 हे0 से की गयी जबकि खसरा नम्बर 880 का रकबा मौके पर 0.48 हे0 है से रकबा पूर्ति में खसरा नम्बरा नम्बर 880 की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 को दी गई जबकि केचमेन्ट खसरा नम्बर 880 की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर सरसरी तोर पर उक्त भूमि का केवल मात्र रेस्पेडेन्ट नं0 1 के नाम ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, रेस्पोडेन्ट नं0 1 लटूरलाल स्वयं उपस्थित किन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे तथा अपील के सम्बन्ध में अपना कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है रेस्पो0 नं0 2 व 3

जिला कलक्टर
कोटा

की ओर से श्री शिवशंकर गोस्वामी अभिभाषक, का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नं0 2, 3 के अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार के अभिभाषक उपस्थित । रेस्पो0 नं0 2 व 3 की ओर से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया । उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण की अंतिम बहस सुनी ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता कान्हा आत्मज रामा जी के खाते में खसरा नम्बर 112 की 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 की 10 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 228 की 3 बीघा 3 बिस्वा कुल तीन किता की 18 बीघा भूमि वाके ग्राम घाटाना में स्थित थी, कान्हा जी की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 70 से उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम दर्ज हुई इसके बाद सेटलमेन्ट हो गया तथा सेटलमेन्ट में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर व रकबा कायम किये गये जो अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज किये गये । इसके पश्चात घाटाना में भू सुधार कार्यक्रम हुआ जिसके तहत खसरा नम्बर 603 की 0.76 हे0 भूमि के नये खसरा नम्बर 686 की 0.45 हे0 कायम कर दिया गया किन्तु खसरा नम्बर 686 का मौके पर रकबा 0.16 हे0 होने के कारण रकबा पूर्ति में खसरा नम्बर 880 की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 को दिया गया किन्तु बाद कैचमेन्ट खसरा नम्बर 880 की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज नहीं कर केवल सरसरी तौर पर उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम इंतकाल नं0 152 तस्दीक कर दिया व उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक किया जाना चाहिये था, इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण संख्या 152 त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल नं0 152 तस्दीक करते समय मौके की व कब्जे की रिपोर्ट तलब नहीं की गयी, जबकि उक्त खसरा नं0 880 की भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है । रेस्पो0 नं0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज होने पर रेस्पो0 नं0 1 के मन में बदनियती आ गयी और उक्त भूमि को रेस्पो0 नं0 2 व 3 को दिनांक 5.9.2011 को बेचान कर दी तथा रेस्पो0 नं0 2 व 3 ने उक्त बेचान को 8 साल तक छिपाये रखा तथा इंतकाल नहीं खुलवाया तथा रेस्पो0 नं0 2 व 3 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है जिसकी जानकारी राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर हुयी । अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ने विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तो उसने बताया कि उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज है क्योंकि लदूरलाल जी ने उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 2 व 3 को बेचान करदी इस पर नामान्तरकरण की जानकारी की किन्तु नामा0 व कचमेन्ट का रिकार्ड नहीं मिलने के कारण नकल नहीं मिली, काफी तलाश करने पर दिनांक 18. 9.2024 को नकल का आवेदन कर दिनांक 9.10.2024 को नकल मिली, तत्पश्चात अविलम्ब यह अपील पेश की जा रही है । अपीलान्ट रेस्पो0 नं0 1 का भाई है तथा विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है इस कारण विवादित भूमि में अपीलान्ट का जन्म से हित निहित है, इस नामान्तरकरण से अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित हो रहे है तथा प्रभावित पक्षकार है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2024 (2) पेज 1240 , आर आर टी 2002 (2) पेज 648 प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट का हित निहित है तथा भूमि पुश्तैनी होने से उक्त नजीरों के अनुसार मियाद का बिन्दु इतना माईने नहीं रखता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का इंतकाल नं0 152 दिनांक 29.7.2000 को निरस्त किया जावें तथा खसरा नम्बर 880 की 0.70 हे0 भूमि अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 के नाम खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

जिला कलक्टर, कोटा

वकील रेस्पो0 नं0 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 29.7.2000 ग्राम घाटाना में अंकित खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 आराजी खातेदार लदूर पुत्र कान्हा के नाम दर्ज थी, जो कि पूर्व में भी लदूर पुत्र कान्हा के खाते में दर्ज थी, जो बाद में भू सुधार कार्य होने के बाद भी लदूर के खाते में ही दर्ज थी जो कि सही है । लदूर खातेदार होने से खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.5.2005 को राजबाई पत्नी रामचन्द्र जाति बैरवा को बेचान कर दी गई थी । राजबाई पत्नी रामचन्द्र को बेचान के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा में मुकदमा नं0 45 /07 रामदेव बनाम लदूर जो कि अपील

की ओर से श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक, का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नं0 2, 3 के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार के अभिभाषक उपस्थित । रेस्पो0 नं0 2 व 3 की ओर से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया । उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण की अन्तिम बहस सुनी ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता कान्हा आत्मज रामा जी के खाते में खसरा नम्बर 112 की 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 की 10 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 228 की 3 बीघा 3 बिस्वा कुल तीन किता की 18 बीघा भूमि वाके ग्राम घघटाना में स्थित थी, कान्हा जी की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 70 से उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम दर्ज हुई उसके बाद सेटलमेन्ट हो गया तथा सेटलमेन्ट में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर व रकबा कायम किये गये जो अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज किये गये । इसके पश्चात घघटाना में भू सुधार कार्यक्रम हुआ जिसके तहत खसरा नम्बर 503 की 0.76 हे0 भूमि के नये खसरा नम्बर 686 की 0.43 हे0 कायम कर दिया गया किन्तु खसरा नम्बर 686 का मोके पर रकबा 0.16 हे0 होने के कारण रकबा पूर्ति में खसरा नम्बर 880 की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 को दिया गया किन्तु बाद केचमेन्ट खसरा नम्बर 880 की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज नहीं कर केवल सरसरी तोर पर उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम इंतकाल नं0 152 तस्दीक कर दिया व उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक किया जाना चाहिये था, इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण संख्या 152 त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल नं0 152 तस्दीक करते समय मौके की व कब्जे की रिपोर्ट तलब नहीं की गयी, जबकि उक्त खसरा नं0 880 की भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है । रेस्पो0 नं0 1 के नाम उक्त भूमि दर्ज होने पर रेस्पे0 नं0 1 के मन में बदनियती आ गयी ओर उक्त भूमि को रेस्पो0 नं0 2 व 3 को दिनांक 5.9.2011 को बेचान कर दी तथा रेस्पो0 नं0 2 व 3 ने उक्त बेचान को 8 साल तक छिपाये रखा तथा इंतकाल नहीं खुलवाया तथा रेस्पो0 नं0 2 व 3 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है जिसकी जानकारी राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर हुयी । अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ने विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तो उसने बताया कि उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज है क्योंकि लटूरलाल जी ने उक्त भूमि रेस्पो0 नं0 2 व 3 को बेचान करदी इस पर नामान्तरकरण की जानकारी की किन्तु नामा0 व कचमेन्ट का रिकार्ड नहीं मिलने के कारण नकल नहीं मिली, काफी तलाश करने पर दिनांक 18.9.2024 को नकल का आवेदन कर दिनांक 9.10.2024 को नकल मिली, तत्पश्चात अविलम्ब यह अपील पेश की जा रही है । अपीलान्ट रेस्पे0 नं0 1 का भाई है तथा विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है इस कारण विवादित भूमि में अपीलान्ट का जम्म से हित निहित है, इस नामान्तरकरण से अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित हो रहे है तथा प्रभावित पक्षकार है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2024 (2) पेज 1240 , आर आर टी 2002 (2) पेज 648 प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट का हित निहित है तथा भूमि पुश्तैनी होने से उक्त नजीरों के अनुसार मियाद का बिन्दु इतना माईने नहीं रखता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का इंतकाल नं0 152 दिनांक 29.7.2000 को निरस्त किया जावें तथा खसरा नम्बर 880 की 0.70 हे0 भूमि अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 के नाम खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पो0 नं0 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 29.7.2000 ग्राम घघटाना में अंकित खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 आराजी खातेदार लटूर पुत्र कान्हा के नाम दर्ज थी, जो कि पूर्व में भी लटूर पुत्र कान्हा के खाते में दर्ज थी, जो बाद में भू सुधार कार्य होने के बाद भी लटूर के खाते में ही दर्ज थी जो कि सही है । लटूर खतेदार होने से खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.5.2005 को राजबाई पत्नी रामचन्द्र जाति बैरवा को बेचान कर दी गई थी । राजबाई पत्नी रामचन्द्र को बेचान के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा में मुकदमा नं0 45 /07 रामदेव बनाम लटूर जो कि अपील

में अपीलान्ट है ने दिनांक 13.3.2007 को राजबाई के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खोलने के लिये दिनांक 13.3.2007 को रामदेव बनाम लटूर नामक दावे में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा से स्टागन प्राप्त कर लिया था, जिस प्रकरण में दिनांक 9.3.2011 को अपीलान्ट व रेस्पो0 कम 1 ने आपसी समझौते से राजीनामें के आधार पर केस विड्रॉ कर लिया था उस तिथि से ही अपीलान्ट इस खसरा नम्बर 880 के बारे में पूर्ण जानकारी थी किन्तु उसके द्वारा अपील में गलत तथ्य आलेखित किये है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा से मुकदमा नं0 45/2007 रामदेव बनाम लटूर में आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 5.9.2011 को लटूर खातेदार ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र यशवेन्द्र, नरेन्द्र जो कि अपील में रेस्पो0 कम 2 व 3 है को बेचान की जा चुकी है जिसमें जमाबन्दी में यशवेन्द्र, नरेन्द्र पिसरान हीरालाल जाटव का नाम दर्ज हो चुका है जिसमें दिनांक 13.7.2023 से खसरा नम्बर 880 के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कम–4 दक्षिण कोटा विक्रय पत्र निरस्तीकरण हेतु दावा विचाराधीन है जिसके जैरकार रहते हुए उसकी खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 के संबंध में अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करने का कानूनी औचित्य नहीं है । इस प्रकार खसरा नम्बर 880 के राजूबाई के पक्ष में बेचान की एवं रेस्पो0 कम 2 व 3 के पक्ष में शुरू से ही बेचान की जानकारी होने के पश्चात भी अपीलान्ट ने झूंठे तथ्यों को आलेखित करते हुए डिले को कण्डोन करवाना चाहा है वह क्लीन हेण्ड से नहीं आये है वैसे भी आरआर टी 2022 (2) पेज 1305 न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार किसी भी अपील में मियाद का प्रश्न निहित है तो सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय किया जायेगा । अपीलान्ट रामदेव व रेस्पो0 नं01 लटूर ने अपनी अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 686 रकबा 0.43 हे0 जो भी यशवेन्द्र, नरेन्द्र को दिनांक 5.9.11 को बेचान कर दिया था जिसकी रजिस्ट्री को फर्जी बताकर न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश, कम –4 उत्तर कोटा में दावा प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री को वैध मानते हुए दावा खारिज करते हुए यशवेन्द्र व नरेन्द्र के पक्ष में निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण की पत्रावली में जोधराज, रामदेव व लटूर के द्वारा बयान दिये, जिसमें खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 भूमि को रेस्पो0 कम 2 व 3 को बेचान को सही माना है । अपीलान्ट द्वारा अपील में नामान्तरकरण संख्या 152 को चैलेन्ज किया है जबकि उक्त इन्तकाल सही है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है । क्योंकि उक्त इन्तकाल के जरिये खसरा नम्बर 880 की भूमि लटूर के खाते दर्ज हुई थी । खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 की भूमि के संबंध में लटूर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैय नामें दिनांक 5.9.2011 रेस्पो0 कम 2 व 3 को बेचान की थी, जिसकी रजिस्ट्री की फोटो प्रति अपील में संलग्न है । उक्त बैयनामें को भी रेस्पो0 कम 1 लटूर ने फर्जी बताते हुए अतिरिक्त सिविल न्यायाशीश कम 4 दक्षिण कोटा में रेस्पे0 कम 2 व 3 के विरूद्व दावा पेश किया है जो कि विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 7.7.2025 नियत है ऐसी सूरत में जब खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 की भूमि के बेचान का सिविल कोर्ट में प्रकरण जैरकार रहते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपील की कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं है । उक्त संबंध में सिविल कोर्ट से जो निर्णय पारित होगा वह अंतिम निर्णय होगा, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । इस प्रकार खसरा नम्बर 880 की भूमि के बेचान के संबंध में अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी थी, तथा जिसके सम्बन्ध में एसडीओ कोटा में मुकदमा नं0 45/ 07 रामदेव लटूर में रेस्पो0 के विरूद्व स्थगन आदेश प्राप्त किया था एवं तत्पश्चात दिनांक 9.3.2011 को रामदेव व लटूर द्वारा राजीनामा पेश कर प्रकरण को विड्रो किया गया था, इससे यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 880 लटूर के नाम दर्ज होने की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही थी । ऐसी स्थिति में 25 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है जो मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम घघटाना में केचमेन्ट का इन्तकाल नम्बर 152 दिनांक 29.07.2000 रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में स्वीकृत करने की अप्रसन्नता में इस न्यायालय में दिनांक 5.11.2024 को प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है, मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल एवं केचमेन्ट का रेकार्ड

नहीं मिलने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 880 में हित निहित होने से गुणावगुण का बिन्दु निहित होने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु निवेदन किया है, अपनने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2024 (2) पेज 1240 , आर आर टी 2002 (2) पेज 648 प्रस्तुत कर उक्त नजीरों की ओर ध्यान आकर्षित कराया । इसके विपरीत वकील रेस्पो0 का कथन है कि खसरा नम्बर 880 के बेचान के सम्बन्ध में न्यायालय एसडीओ कोटा में वाद संख्या 45/07 रामदेव बनाम लटूर चला है जिसमें राजूबाई के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खोलने के लिए दिनांक 13.3.2007 को स्थगन भी प्राप्त कर लिया था तथा बाद में राजीनामें के आधार पर रामदेव व लटूर द्वारा उक्त प्रकरण को विड्रो भी करवा लिया, इस प्रकार खसरा नम्बर 880 की भूमि केवल लटूर के नाम होने की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही होने का कथन विदवान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा किया है । रेस्पोडेन्ट के कथनों की पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत वाद संख्या 45/07 रामदेव बनाम लटूर की आदेशिकाओं की प्रतियों से होता है । इस प्रकार अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि के अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही होना जाहिर आता है, इस प्रकार प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है 25 वर्ष मियाद अवधि को कन्डोन किये जाने का ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में मियाद के शमन के लिए प्रस्तुत धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।

7. प्रस्तुत अपील में मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त भी हम गुणावगुण पर भी विवेचन करना उचित मानते है । चूंकि ग्राम घघटाना के खसरा नम्बर 503 की रकबा 0.76 हे0 भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज थी तथा केचमेन्ट के बाद नवीन खसरा नम्बर 686 के 0.43 हे0 कायम किये किन्तु रकबा कमी होने से केचमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 880 की भूमि 0.70 हे0 से कमी पूर्ति की गई, किन्तु बाद केचमेन्ट खसरा नम्बर 880 की भूमि केवल लटूर के नाम दर्ज हुई, तत्पश्चात लटूर द्वारा भूमि का बेचान दिनांक 5.9.2011 को रेस्पो0 नं0 2 व 3 को किया गया है जिसका जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट 2 व 3 के नाम दर्ज हो चुका है, किन्तु खसरा नम्बर 880 के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यांयाधीश कम 4 दक्षिण कोटा में विक्रय पत्र को निरस्तीकरण हेतु दावा विचाराधीन होना बताया है । तथा न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार से रहन अथवा अन्तरण न करने के आदेश किये हुए है तथा जमाबंदी में नोट अंकित है । इसके अलावा रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन है कि अपीलान्ट एवं रेस्पे0 कम 1 ने अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 686 रकबा 0.43 हे0 भी यशवेन्द्र, नरेन्द्र को दिनांक 5.9.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की थी जिसकी रजिस्ट्री फर्जी बताकर न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश कम–4 उत्तर कोटा में वाद प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा वैध मानते हुए दावा खारिज किया गया है तथा पत्रावली में वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 की भूमि का रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 यशवेन्द्र व नरेन्द्र को बेचान करना माना है । इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 0.70 हे0 का रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा रेस्पो0 नं0 2 व 3 को बेचान किया जा चुका है तथा विक्रय पत्र को निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया है । चूंकि वादग्रस्त भूमि का बेचान हो चुका है तथा सिविल न्यायालय से स्थगन भी जारी हो रहा है जिसका जमाबंदी में रहन बेचान अन्तरण पर रोक लगी होने का नोट अंकित है, ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते हुए किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं मानते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट अवधि बाधित होने एवं अपील स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से तथा सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र 9.5.2011 के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होने एवं न्यायालय से स्थगन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा